संदर्भ ग्रंथ

1. डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, आर्य समाज का इतिहास, पृष्ठ 216–218
2. हरिदत्त वेदालंकार, हिंदी परिवार मीमांसा, पृष्ठ 109–17
3. स्वामी वेदानंद का संस्करण, सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा समुल्लास, पृष्ठ 69
4. वही पुस्तक, पृष्ठ 70
5. वही पुस्तक, पृष्ठ 70–71
6. अश्वलान स्रोत सूत्र (1–11), वेदों पत्न्यै प्रदाय वाचयेत
7. शांखायन स्रोत सूत्र 15 15 इति वेदं पत्नी वाचयति
8. स्वामी वेदानंद का संस्करण, सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृष्ठ– 71
9. वही, तृतीय समुल्लास
10. सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत का सामाजिक सांस्तिक इतिहास
11. डॉ राधा कृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का इतिहास

स्वतंत्रोत्तर चंपारण में बाल विवाह की स्थिति

डॉ. पूर्णिमा कुमारी*

बाल–विवाह, बाल–अधिकारों का हननकर्ता है यह अक्सर लड़का एवं लड़की दोनों के साथ होता है।[1] अभी भी भारत में 21 वर्ष का लड़का एवं 18 वर्ष की लड़की की शादी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।[2] भारत में 23,000000 लड़कियां इस सच्चाई का सामना करती है। चूकि प्रत्येक वर्ष देश 8 प्रतिशत की दर से उन्नति कर रहा है जबकि इसकी तुलना में प्रति वर्ष बाल–विवाह कम से कम एक प्रतिशत अंक के साथ घट रही है।[3] बाल विवाह प्रसार में लैंगिक असमानता और अन्याय की झलक दिखई देती है, बाल–विवाह का प्रसार वंचित समूहों, गरीब परिवारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक है।[4] बहुत से कारक इस घटना को घटित होने में योगदान देते हैः लिंग मानक और अपेक्षाएं, आस पास की पारंपारिक प्रथाएं लड़कियों की सुरक्षा की चिंता एवं पारिवारिक सम्मान, गरीबी, सीमित शिक्षा एवं आजीविका के अवसर और कमजोर कनूनी कार्रवाई। विशेष रुप से पितृसत्तात्मक मूल्य बाल–विवाह होने में मुख्य भूमिका अदा करता है। लड़कियां पिता का घर छोड़कर पति के घर जाने वाली सम्पति के रुप में देखी जाती हैध्मानी जाती है। उनके परिवार द्वारा गृहणियों के रुप में हीं कल्पना की जाती है जो उनका भविष्य है।[5]

भविष्य की पीढ़ियां रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए निम्न कुशलता के साथ विद्यालय से बाहर कर दिए जाते हैं परिणामस्वरुप गरीबी चक्र बना रहता है।[6] बाल–विवाह का प्रभाव लड़का एवं लड़की दोनों पर पड़ता है किन्तु लड़कियों के साथ यह घटना अति तीव्रता के साथ घटीत होती है एवं इसका परिणाम लड़कियों के पूर्ण विकास पर पड़ता।[7] लड़कियों का विवाह के नाम पर विद्यालय छुड़ा दिया जाता है और समाज में इनकी भूमिका एक पत्नी तक ही सीमित हो जाती है।[8] भारत में बाल विवाहों के मामले दो दशक में कम जरुर हुए हैं लेकिन इस कमी की रतार इतनी धीमी है कि इस प्रथा को खत्म होने में अभी 50 वर्ष और लग जाएंगे। भारत में यूनिसेफ की बाल सुरक्षा विशेषज्ञ डोरा ग्युस्टी ने बताया ''पिछले दो दशक से बाल विवाह की संख्या में हर साल एक फीसदी की कमी आई है और यही सिलसिला जारी रहा तो इसे पूरी तरह खत्म होने में कम से कम 50 साल और लगेंगे।'' जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि है कि बाल विवाह के प्रचलन के मामलों में भारत का स्थन छठा है जहां हर तीन बाल वधुओं में से एक देश में रहती है। भारत में बाल विवाह पर रोक के लिए यूनिसेफ

***एम.ए., पीएच.डी., बी.आर.ए.बी. यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार**

की योजना के बारे में डोरा ने बताया ''यूनिसेफ इंडिया यह देखने के लिए प्रमाण जुटा रहा है कि बदलाव की गति तेज करने के लिए कौन से प्रयास बेहतर होंगे। करीब एक दशक हमने बहुत प्रयास किए हैं। बाल विवाह पर रोक का मतलब है बच्चों के खिलाफ हिंसा पर रोक, उनके अधिकारों के उल्लंघन पर रोक तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मुद्दों का समाधान।'' उन्होने कहा ''कुल मिलाकर हमारा रणनीति बाल विवाह से नुकसान के बारे में जागरुकता फैलाने, समुदायों को और नेताओं को इस चलन पर रोक के लिए गतिशील करने, कानून सही तरीके से लागू करने तथा लड़कियों को अधिकार सम्पन्न पर आधारित है।[9]

स्वतंत्रोत्तर चम्पारण में बाल विवाह के कारण निम्नलिखित है :

1. परम्परा एवं रीति–रिवाज– प्राचीन परम्परा एवं रीति–रिवाज के अनुसार लड़कियां शदियों से परिवार के लिए आर्थिक बोझ और पराया धन मानी जाती है। यहां यह मानसिकता है कि जितनी जल्दी हो सके लड़की की शादी कर बोझ से मुक्ति पा ली जाए। समाज में यह धारणा बनी है कि लड़कियों की शिक्षा पर रुपया निवेश करना व्यर्थ है क्योंकि शादी के पश्चात वे अपने ससुराल में घरेलु कार्यो में लग जाती है। लड़की ज्यों हीं 12–13 वर्ष की होती है उसके माता–पिता पर रिश्तेदारों एवं आस–पास के पड़ोसियों द्वारा लड़की की शादी के लिए दबाव डालना शुरु हो जाता है। माता–पिता द्वारा कम उम्र में अपनी बेटी की शादी न करने पर समाज रिश्तेदारों द्वारा प्रिय टीप्पणियां शुरु हो जाती है। ये लड़की की शादी के लिए प्रस्ताव लाना शुरु कर देते हैं। इस प्रकार परम्परा एवं रीति–रिवाज सामाजिक मानदण्डों के रुप में बाल–विवाह के मुख्य कारण बने हुए हैं।

2. दहेज प्रथा एवं आर्थिक कारण– दहेज एवं आर्थिक तंगी बाल–विवाह के मुख्य कारक है। समाज में बड़ी उम्र एवं अधिक पढी–लिखी लड़कियों के माता–पिता से अत्यधिक राशि दहेज के रूप में मांग की जाती है। इसलिए गरीबी से त्रस्त माता–पिता इस तरह के दहेज देने से बचने के लिए बाल–विवाह कर देते हैं। यद्यपि दहेज लेना और देना दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत अपराध है फिर भी यह प्रथा समाज में विद्यमान है। चूकि पहले समाज में सिर्फ ऊँची जातियों में हीं दहेज प्रथा का प्रचलन था किन्तु वर्तमान में दहेज के रुप में अत्यधिक धनराशि लेने कि रिवाज बन गई है। समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो आर्थिक तंगी से गुजरते हैं एवं जिन्हें एक से अधिक बेटियां है, वे शादी पर अत्यधिक खर्च से बचने के लिए अपनी दो–तीन बेटियों की शादी एक ही समारोह में कर देते हैं जिससे बाल–विवाह को बढ़ावा मिलता है।

3. जनसांख्यिकीय निर्धारक– बाल विवाह पर अध्ययन के समय प्राप्त जनसांख्यिकीय आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में कुछ ऐसे भी समुदाय

हैं जो शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर अत्यधिक सम्पन्न हैं एवं जिनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं उत्तम कोटि की है, उनकी शादी के समय उम्र काफी ज्यादा हैं। इस प्रकार चम्पारण में शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े परिवारों में बाल–विवाह की घटना अधिकतम देखने को मिलती है।

4. पितृसत्तात्मक संस्था– बाल–विवाह की घटना को पितृसत्तात्मक संस्था के अंतर्गत देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ''पितृसत्ता का भारतीय समाज पर मजबूत पकड़ है। यह लिंग, उम्र और जाति के आधार पर सभी स्तरों पर विद्यमान है और हर संभव तरीके से महिलाओं की स्थिति को कमजोर करने में योगदान करता है। लिंग के आधार पर स्तरीकरण और भेदभाव भारत पितृसत्ता का अभिन्न विशेषताएँ है'' (कोई और फू. 1992)। लिंग आधारित श्रम विभाजन उत्पादक और प्रजन्न गतिविधियों के बीच परिलक्षित होता है। पितृसत्ता का सामूहिक प्रभाव देखभाल, सुरक्षा और कल्याण के नाम पर महिलाओं की अधिनता की पुष्टी करता है। इस प्रकार, महिलाओं के लिए बाल–विवाह, पति की तुलनात्मक वरिष्ठता और शादी के उपरान्त पैतृक निवास पितृसत्तात्मक संस्था के गुण हैं।

5. कौमार्य से जुड़े महत्व– कौमार्य से जुड़े महत्व चम्पारण हीं नहीं सम्पूर्ण भारत में भी बाल–विवाह के मुख्य कारणों में से एक है। मुख्यरूप से ग्रामीण परिवारों में कौमार्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि कौमार्य भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है एवं अविवाहित लड़कियां पारिवारिक सम्मान के लिए जिम्मेंवार मानी जाती है। अतः बाल–विवाह लड़की के कौमार्य और सचरित्रता को सुनिश्चित करने एक रास्ता है। अतः कुवांरी लड़की की कौमार्य की सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा एवं चिंता स्वतंत्रोत्तर चम्पारण में बाल–विवाह के मुख्य कारण है।

6. बाल–विवाह के लिए विकल्प का अभाव– अक्सर बाल–विवाह ही एकमात्र विकल्प के रुप में माना जाता है। जैसे यादव द्वारा बताया गया है "यदि युवा लड़कियों की शादी नहीं होती है तो उन्हें वैकल्पिक अवसर प्रदान करने की जरुरत है। तथ्य यह है कि उनके लिए ऐसी रचनात्मक अवसर नहीं है। आमतौर पर विवाह के कारण ही लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं। वे शैक्षणिक अवसर से वंचित की जा रहीं है, जो उनके अपने व्यक्तित्व के विकास, स्वायत्तता और रोजगार कौशल को विकसित करने में मदद कर सकता है। महिलाओं के लिए लिंग पर आधारित श्रम विभाजन घरेलू कार्य, विद्यालय की कमी के रुप में महिलाओं की प्राथमिकता है। शादी के अलावा कोई भी विकल्प किशोरियों को प्रदान नहीं किया जाता है ।बचपन से ही लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती है कि शादी उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उनके हित परिवार समूह के लोगों के अधिनस्थ है।

7. कानून के प्रति जागरूकता का अभाव– बाल–विवाह निषेध कानून के प्रति जनता की अनभिज्ञता भी बाल–विवाह के कारणों में से एक है। एन०एफ०एच०एस० (1992–1993) के रिपोर्ट अनुसार भारत में विशेषरूप से भारतीय समाज के वंचित वर्गों से संबंधित महिलाओं के बीच बाल–विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी नहीं है। कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु लोगों को उपलब्ध संचार का कोई साधन नहीं है। निरक्षरता और कानूनी अनभिज्ञता ग्रामीण जनता एवं महिलाओं के मध्य ज्यादा है। यदि जनता को कानून के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो वे कानून का पालन करेंगे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है।

8. राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव– बाल–विवाह पर संशोधन करने या भारतीय कानूनों और विनियमों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। पिछले दो देशों में, सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि कानून के बेहतर कार्यान्वयन या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कोई गंभिर प्रयास नहीं किया गया है। सरकार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जवाब में, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में लगातार नीति में परिवर्तन प्रदान कर रही है। फिर भी, इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधान इन प्रयासों को प्रतिबंधित करता है।

9. अन्य कारण– अभिभावकों में समय से पहले मरने की आशंका से समय रहते उत्तरदायित्व पूरा करने की भावना, समाज में असामाजिक तत्व के लोगों की उपस्थिति, बुजुर्गों द्वारा मृत्यु से पहले शादी देखने की इच्छा, शिक्षित एवं युवा होने पर योग्य वर न मिलने का डर, वंश चलाने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु सम्पन्न घर के लोगों द्वारा गरीब घर की कम उम्र की कन्याओं से दुसरी शादी करना, अभिभावकों में बाल–विवाह के कारण बच्चों में होने वाले शारिरिक एवं मानसिक विकृति या बिमारी सम्बंधित ज्ञान का अभाव, पिता के शराबी, जुआरी या मृत्युशैया पर होने के कारण रिश्तेदारो द्वारा या मां द्वारा जल्द से जल्द शादी करने का दबाव, पहली पत्नी के रहते या मृत्यु के पश्चात पिता द्वारा दुसरी शादी करना, यदि कोई योग्य एवं सम्पन्न लड़का है तो माता–पिता इस अवसर को गंवाने के डर से अपने कम उम्र की बेटी की शादी कर देते हैं, अमीर घराने के बेटे द्वारा शराबी–जुआरी होने पर या गलत आदत पकड़ लेने पर किसी गरीब घर की कम उम्र की बेटी से शादी करना, रहने के लिए घर न होने के कारण लड़की की शादी जल्द से जल्द करके हटा देने की मजबूरी।[10]

बाल–विवाह के परिणाम :

समाज में बाल विवाह के परिणामस्वरुप लड़कियों के लिए नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला है। बाल विवाह, समग्र रुप से बच्चे एवं समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाल विवाह लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, और भावनात्मक रुप से काफी खतरनाक है जो उनके शिक्षा के अवसर एवं व्यक्तिगत विकास की संभावना को खत्म कर देता है। यद्यपि लड़के भी बाल विवाह से प्रभावित होते हैं किन्तु गंभिर मुद्दा यह है कि लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती है। विशेषकर लड़कियों के लिए परिस्थिति ज्यादा भयंकर है क्योंकि वे बड़ों द्वारा जल्द मातृत्व क्षमता प्राप्त करने के लिए मजबूर की जाती हैं विशेषकर लड़का प्राप्ति हेतु।[11] ''2001 की जनगणना के अनुसार, 15 वर्ष की 300,000 लड़कियां कम से कम एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो यह सूचित करता है कि अक्सर बाल वधूओं में, यौन शोषण एवं इस सदमे के बाद तनाव के लक्षण दीखाई देती है। बाल–विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा–दीक्षा रुक गई एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित जोखिम में वृद्धि हुई, उनमें मृत्यु दर बढी एवं वे 18 वर्ष के लड़कियों की तुलना में एच.आई.वी. एड्स को अत्यधिक प्रदर्शीत किए (यू एस डिपार्टमेंट आफ स्टेट, कंट्री रिपोर्ट 2006)। बाल–विवाह समग्र रूप से लड़कियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास पर गंभिर प्रभाव डालता है।[12] विश्व स्वास्थ्य संगठन घोषित करता है ''किशोरों की सामाजिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बाल–विवाह के अनेक कारण है। शादी के बाद प्रारंभिक यौन कियाओं की शुरुआत और जितनी जल्द हो सके उन्हें प्रजनन क्षमता साबित करने के लिए युवा विवाहित महिलाओं पर दबाव डाला जाता है जिसका परिणाम है उच्च प्रजनन दर'' (डबल्यू एच ओ, 1999)।[13] स्वातंत्रयोत्तर चम्पारण में सर्वे के दौरान एक 18 वर्ष की लड़की बोली ''कम उम्र में शादी के पश्चात देह खराब हो जाता है एवं अक्सर बिमार रहना पड़ता है।''

स्वतंत्रोत्तर चम्पारण में बाल–विवाह के निम्नलिखित परिणाम है –

1. शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव लड़कियों में निरक्षरता दर की वृद्धि – बाल विवाह लड़कियों को उनके शिक्षा के अधिकार एवं स्कूली शिक्षा से वंचित कर देता है, जो उनके व्यक्तिगत विकास और समाज की भलाई में प्रभावशाली योगदान के लिए आवश्यक है। कभी–कभी, जो लड़कियां शादी से पहले या शादी के बाद पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करना पसंद करती है उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। आमतौर पर लड़कियों की शिक्षा एवं विकास को रोककर उन्हें विद्यालय जाने से मना कर दिया जाता है। लड़कियों में शिक्षा की कमी उन्हें कमजोर बनाता है एवं उनके अनदरुनी विकास को रोक देता है। बहुत

से माता–पिता का मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश रुपया की बर्बादी है क्योंकि अंततः उन्हें शादी कर अपने पति के घर जाना है जहां वह घरेलू कार्यों के देख–भाल करने में लग जाएगी। उसके शादी के कम में विद्यालय से निकासी उसके आत्मनिर्भर बनने के सुनहरे अवसर को खत्म कर देता है। कई मामलों में, बाल–विवाह बालिका को अपने परिवार के बाहर मेल–जोल करने एवं दोस्त बनाने की अनुमति नहीं होती है। कम उम्र में शादी हुई लड़कियां गर्भावस्था एवं शिशु–जन्म से संबंधित मुद्दे पर विचार–विमार्श करने में अयोग्य होती है।[14] शैक्षणिक स्तर का प्रभाव भी विवाह की उम्र में झलकता है। एन०एफ०एच०एस०–2 का आंकड़ा यह प्रदर्शीत करता है कि 15–19 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में 59 प्रतिशत निरक्षर है। निरक्षरता की दर 20–24 वर्ष आयु वर्ग की पीढियों में (42 प्रतिशत) 45–49 वर्ष आयु वर्ग की (65 प्रतिशत) तुलना में घटा है किन्तु 15–19 वर्ष आयु वर्ग की पीढ़ियों में निरक्षरता की दर 59 प्रतिशत के साथ बढा है। क्योंकि शिक्षित महिलाओं की तुलना शिक्षित लड़कियों की जल्द शादी होने की संभावना अधिक होती है। हिन्दू (59 प्रतिशत) एवं मुस्लिम में (61 प्रतिशत) महिलाएं शिक्षित है किन्तु जैन महिलाओं में यह संख्या 7 प्रतिशत है। अन्य सम्प्रदायों की तुलना में जैन महिलाओं में कम से कम 54 प्रतिशत महिलाओं के हाई–स्कूल तक की पढ़ाई पूरा कर लेने की संभावना अधिक है। हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में ईसाई एवं सिक्ख महिलाओं की शैक्षणिक स्तर काफी उंचा है। बिहार (23 प्रतिशत), राजस्थान (25 प्रतिशत) लड़कियों की बड़ी संख्या 9वीं एवं 10वीं तक पहुंचते–पहुंचते विद्यालय छोड़ देती है। तो कहने की जरुरत नहीं है कि शिक्षा की कमी प्रजनन व्यवहार गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल, नवजात बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसके उचित देखभाल को प्रभावित करता है।[15] शहरी क्षेत्रों में 15–17 वर्ष की आधी लड़कियां विद्यालय जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तिहाई से भी कम लड़कियां विद्यालय जाती है।[16]

स्वतंत्रोत्तर चम्पारण में भी बाल–विवाह की घटनाएं लड़कों की तुलना में लड़कियों में सर्वे के दौरान देखने को ज्यादा मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से 8 लड़कियों की शादी 15 वर्ष की अवस्था में पाई गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रुप से कमोजर एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में बाल–विवाह के प्रतिशत ज्यादा प्राप्त हुए हैं।

2. स्वास्थ्य पर प्रभाव– बाल–विवाह युवा मां के स्वास्थ्य के लिए जोखिम युक्त है। कम उम्र में जब लड़की का शरीर पूर्णरुप से गर्भधारण के लिए विकसित नहीं होता है तो उस परिस्थिति में गर्भधारण खतरा से खाली नहीं होता है।[17] पिछले कुछ वर्ष में, बाल विवाह के रुप में इस तरह के प्रतिगामी स्वास्थ्य

संबंधित प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है एवं यह अध्ययन लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ने वाली जीवनपर्यन्त दूरगामी प्रभाव के रुप में चौंकाने वाली है। इस संदर्भ में देखा जाता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी सभी के लिए चिंता का विषय है।[18]

3. स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल परिणाम के विषय में जागरूकता का अभाव– ''आमतौर पर बाल विवाह का प्रजनन, स्वास्थ्य और किशोरियों के विकास पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शादी के समय कम उम्र मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और रुग्नता की उच्च दर के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारकों में से एक है। हालांकि युवा लड़कियों में जल्द गर्भधारण से प्रसव के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल परिणाम की अच्छी तरह से जानकारी पारिवारिक स्तर पर नहीं होती है'' (जीजीभाय, 1999)। ''इसके विपरित, नई दुल्हन शादी के तुरंत बाद पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जल्द से जल्द उन्हें प्रजनन क्षमता साबित करने हेतु दबाव डाला जाता है। न्यूनतम शिक्षित या अशिक्षित लड़की की शादी जब उससे बड़े उम्र के लड़के से होती है तो वह उससे यौन गतिविधियों के विषय में बात करने की कुशलता उस लड़की में नहीं होती है'' (खान,1996)। परिणामस्वरुप, अगर वह स्त्री–रोग संबंधित बीमारी से ग्रस्त है या भले ही वह शीघ्र गर्भधारण या शिशु जन्म के कारण मर जाती है, तो उसे कम उम्र में विवाह को मौत के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है। यह भगवान की इच्छा या भाग्य के रुप में स्वीकार किया जाता है।

4. उच्च प्रजनन दर– महिलाओं की शीघ्र शादी होने के कारण बच्चों की संख्या में वृद्धि होने के कारण बच्चों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना अधिक होती है. परिणामस्वरुप उसे स्वस्थ रहने की ज्यादा जरुरत है (भट्ट, 2005)। इसलिए शीघ्र गर्भधारण से स्वास्थ्य एवं मां तथा बच्चे की भलाई के गंभिर परिणाम के साथ परिवार बडा होने की प्रवृति बढ जाती है।भारत में किशोर प्रजनन शादीशुदा किशोरों के बीच मुख्य रूप से होता है। 13–16 वर्ष के शादीशुदा किशोरों में 36 प्रतिशत एवं 17–19 वर्ष के 64 प्रतिशत किशोर पहले से ही शादीशुदा है या अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती है (जीजीभाय, 1999)।[19] सूचना दी। 15.3 प्रतिशत ने एक गर्भावस्था समाप्ति (मृत प्रसव, गर्भापात) की सूचना दी। प्रजनन दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है।[20]

5. प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य– ''बाल–विवाह के परिणाम स्वरूप बालिकाओं के प्रजनन एवं यौन–स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये लड़कियां प्रसूति जटिलताओं, अंतः गर्भाशय विकास मंदता, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, समय से पहले प्रसव, उच्च मृत्यु दर, आर.टी. आई. एवं एस. टी. आई. की उच्च घटनाएं एवं भ्रूण अपव्यय (गर्भपात) से पीड़ित होती है। नवजात एवं शिशु दर भी समय

से पूर्व समय से पूर्व प्रसव और नवजात बच्चे के जन्म के समय कम वजन की घटनाओं के साथ उच्च रहे हैं'' (भट्ट. 2005)।[21]

6. मातृ–मृत्यु रुग्णता दर– भारत में अपरिपक्व किशोरो एवं किशोरियों का एक ऐसा समूह जिनके बाल विवाह हो गए हैं वे एक ऐसे वर्ग का निर्माण करते हैं जिनमें मृत्यु एवं रुग्नता की संभावना अधिक होती है'' (वर्मा, 2004)। राष्ट्रीय स्तर पर, किशोरों में बाल–विवाह के अनुपात उच्च है। ''45 प्रतिशत मातृ–मृत्यु दर 24 वर्ष के कम उम्र के महिलाओं में ज्यादा होता है एवं 15 प्रतिशत मृत्यु शिशु जन्म एवं गर्भावस्था से सम्बंधित जटिलताओं के कारण होता है (यादव, 2006)। उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि बड़ी उम्र की महिलाओं की तुलना में किशोरों में मृत्यु दर ज्यादा है। 20–24 वर्ष आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में 15 प्रतिशत मृत्यु का कारण शिशु जन्म एवं गर्भावस्था के समय होने वाले बिमारियां है। वे एनिमिया, उच्च रक्तचाप, कमजोरी, टॉक्सेमिया एवं स्तनपान के दौरान गर्भावस्था एवं कम वजन सम्बंधित रोगों से ग्रस्त रहती हैं। इन किशोरियों में प्रजनन संबंधित मुद्दो पर सूचना देने की सम्भावना कम होती है अतः इनमें बच्चा जन्म देने के समय मृत्यु की संभावना अधिक होती है। पाया जाता है कि ''अपरिपक्व–गर्भावस्था वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। प्रसव का गम्भीर प्रभाव पोषक–तत्वों पर पड़ सकता है, खासकर कैल्शियम पोषक तत्वों पर जो हड्डी के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। बड़े उम्र में गर्भाधान की तुलना में कम उम्र में गर्भधारण के समय कूल्हे की हड्डी का विकास कम होता है। इस प्रकार अपरिपक्व अवास्था में शिशु जन्म किशोरियों में हड्डी के विकास एवं कैल्शियम पोषक तत्व की वृद्धि को रोक देता है (ब्रीन. 2003)।[22]

7. शिशु–मृत्यु एवं रुग्नता दर– बाल–विवाह का प्रभाव सिर्फ लड़की तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव उस बच्चे पर भी गंभिर रूप से पड़ता है जो शीघ्र गर्भाधान के परिणाम स्वरुप जन्म लिया था। औद्योगिक क्षेत्र में जहां 200 जीवित बच्चों में से एक अपने पहले जन्मदिन से पहले मर जाता है उसकी तुलना में भारत में 15 बच्चों में से एक बच्चा अपने पहले बच्चे जन्मदिन से पहले मर जाता है (अग्रवाल एवं मेहरा, 2004)। समय से पहले जन्म, प्रारंभिक गर्भावस्था के मामले में एक प्रमुख चिंता का विषय है, बाद में नवजात बच्चा अक्सर कुपोषण, कम वजन एवं निम्न विकास का शिकार हो जाता है।[23]

सूत्रो से संकेत मिलता है कि कम पढी लिखी माताओं की तुलना में अधिक पढ़ी लिखी माताओं में शिशु मृत्यु दर में तेजी से गीरावट आती है। जो मां कम से कम हाई–स्कुल तक शिक्षा प्राप्त की थी उनमें शिशु–मृत्यु दर 33/1000 है जबकि शिक्षा माताओं में शिशु–मृत्यु दर 8.7/1000 है।[24]

8. एस.टी.डी, एवं एच.आई.वी. एड्स के मामलों में वृद्धि– कम उम्र की लड़कियों की शादी उन लड़के से होती है जो उम्र में ज्यादा होते हैं । ऐसी शादियों में, महिलाओं में यौन व्यवहार एवं आचरण से सम्बंधित मामलों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है अतः इनमें प्रजनन एवं यौन संचरित संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इनमें गर्भनिरोधक की उपयेगिता के विषय में जानकारी का अभाव होता है जिसके कारण वे एच.आई.वी. एड्स एवं अन्य बिमारियों के चपेट में जल्द आ जाती हैं।[25] ''कानून के बावजूद यह देखा जाता है कि एक बार शीघ्र शादी होने के बाद उसे बच्चा जन्म देने के लिए जोरदार दबाव बनाया जाता है। शीघ्र यौन व्यवहार से किशोरियों में एच.आइ.वी. एड्स जैसे यौन संचरीत रोग होने का खतरा ज्यादा होता है। भारत में शीघ्र–विवाह एवं गर्भधारण मातृ–मृत्यु के मुख्य कारण है (यादव, 2006)।[26]

9. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव– युवा लड़कियों पर बाल–विवाह का एक और नतीजा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव है। इसके परिणाम/प्रभाव, विशेष रुप से अवसाद एवं चिंता के रुप में लिंग असमानता और नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों में अच्छी तरह से स्वास्थ्य अनुसंधान द्वारा प्रलेखित किया गया है। हाल ही में डब्ल्यू.एच.ओ. के आकड़े बताते है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 10.7 प्रतिशत ह्रदय रोगों, 8.1 प्रतिशत मातृ एवं पैतृक स्थितियों, 6.1 प्रतिशत एच.आई.वी. एड्स एवं यौन संचरीत रोगों एवं 5.8 प्रतिशत कैंसर की तुलना में 11.5 प्रतिशत समायोजित जीवन खो दिया है।[27]

10. प्रसव के दौरान जटिलताएं– बच्चा को जन्म देने के लिए लड़कियां शारीरिक रूप से अपरिपक्व होती है। शिशु जन्म उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एस.ओ.डब्ल्यू.सी. (द स्टेट आफ वल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट), 2007, साउथ एशियन एडिसन के अनुसार ''भारत में, तीन में से एक महिला कम वजन की शिकार है और इसीलिए बच्चों के जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने का खतरा ज्यादा है।''[28]

11. घरेलू हिंसा के शिकार– ''यूनिसेफ के अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में घरेलू हिंसा उच्च दर पर है जहां 67 प्रतिशत महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष के कम उम्र में हुई है, रोज घरेलू हिंसा की शिकार होती है (अली मैरिज 2005. यूनिसेफ)। वो काफी कम उम्र की होती है।[29]

12. तस्करी एवं लड़कियों की बिक्री– बाल विवाह एवं भ्रुण–हत्या के परिणामस्वरूप ही वेश्यावृत्ति, श्रम एवं शोषण के उद्देश्य से लड़कियों की तस्करी हो रही है। आदिवासी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य युवा लड़कियों को दुसरे राज्यों में बेचने के उद्देश्य से शादी के लिए लालच या दबाव दिया जाता है। राजीव

हलदर, सचिव, प्रयास कहते हैं कि ''विवाहित लड़कियों की तस्करी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं यहाँ तक की केरला में भी बड़े पैमाने पर होते हैं (इन्फोचेंज, फरवरी, 2007)। ''तस्करी के शिकार लोगों के सर्वे से पता चला है कि 71.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि जब वे बच्चे या 18 वर्ष से कम उम्र के थे तभी उनकी शादी कर दी गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाल–विवाह हैं वह मुख्य कारक है जो लड़कियों एवं महिलाओं को तस्करी का शिकार बनाता है (रिपोर्ट, ट्रैफिकिंग, 2002–2003 फाइल रिपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च ऑन टैफिकींग इन वोमेन एण्ड चिल्डेन, वॉल्यूम–1)।''[30]

हक द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल से मुख्य रूप से पुराने पुरुषों के साथ शादी कराने या शादी के बाद वेश्यावृति में उन्हें मजबूर करने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर के लिए बंगाल से तस्करी की जा रही थी। इसी तरह दक्षिण भारत में ''देवदासी के रुप में लड़कियों की तस्करी होती है।''[31]

13. निर्णय लेने की शक्ति का अभाव– 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के बाद लड़कियां इतना योग्य नहीं होती कि वे गर्भावस्था, शिशु जन्म से संबंधित बिमारियों एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग के विषय में कुशलता पूर्वक बात कर सके। इस प्रकार कम उम्र में शादी कर लड़कियों के प्रजनन अधिकार के साथ अन्याय होता है।[32]

14. अन्य परिणाम– सर्वे के दौरान अन्य परिणाम भी प्रप्त हुए : बाल सुलभ चंचलता का दमन, बाल मनोविकार का दमन बाल इच्छा का दमन, बच्ची पर गृहस्थी का बोझ डालने के कारण कार्य करने में अनिच्छा उत्पन्न होना एवं शादी से विरक्ति उत्पन्न होना बाल विवाहोपरांत युवा होने पर लड़का द्वारा लड़की को नापसंद करने के कारण घरेलू कलह उत्पन्न होना। बाल विवाह के कारण आर्थिक रूप से कमजोर घरों में जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उचित पालन–पोषण एवं घरेलू माहौल के अभाव में गलत राह पर भटक जाते हैं साथ ही बाल–मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि होती है तथा लड़कियां घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से आर्केस्ट्रा जैसी संस्थाओं की शिकार बन जाती हैं।

संदर्भ सूची :

1. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ0 सं0–7
2. डबल्यू डबल्यू डबल्यू.यूनिसेफ.इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ0 सं0–7

3. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012) पृ० सं0–7
4. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ० सं0–7
5. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा. 2012), पृ० सं0–7
6. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ0 सं0 71
7. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ0 सं0–7
8. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ0 सं0–71
9. प्रातःकमल, दिनांक 1–9–2014
10. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट, पीडीएफ, पृ0 सं0–27–30
11. चाइल्ड मैरिज फैक्ट शीट नवम्बर 2011 फाइनल पीडीएफ, पृ० सं0–11
12. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट पीडीएफ, पृ0 सं०–13
13. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट पीडीएफ, पृ० सं0–30–311
14. वही, पृ0स0–15–16
15. वहीं, पृ० सं0–31
16. चाइल्ड मैरिज फैक्ट शीट नवम्बर 2011 फाइनल, पीडीएफ, पृ० सं0– 21
17. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ० सं0–16–19
18. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012) पृ० सं0–49
19. चाइल्ड मैरिज फैक्ट शीट नवम्बर 2011 फाइनल पीडीएफ, पृ०स0–1
20. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट, पीडीएफ, पृ0 सं0–32
21. वहीं, पृ0 सं0–32
22. वहीं, पृ0 सं0–33

23. डबल्यू डबल्यू डबल्यू इनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, ऑर्ग/डबल्यू/इंडेक्स. पीएचपी, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया पृ० सं0–21
24. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एन एनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012), पृ 0सं०– 20
25. वहीं, पृ0 सं0–34
26. वही, पृ0 सं0–34–35
27. वही, पृ० सं0–36
28. वही, पृ0 सं0–14
29. चाइल्ड मैरिज फैक्ट सीट नवम्बर 2011 फाइनल पीडीएफ. पृ० सं0–1–21
30. डबल्यू डबल्यू डबल्यू यूनिसेफ इन, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया (एनएनलाइसीस ऑफ अवलेवल डाटा, 2012). पृ० सं0–50
31. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट, पीडीएफ, पृ० सं0–141
32. चाइल्ड मैरिज इन इंडिया सिचुयसनल एनलाइसिस रिपोर्ट, पीडीएफ, पृ० स०–361

सत्यभक्त और नवजागरण

महेश्वर प्रसाद सिंह*

हिन्दी नवजागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय नवजागरण और साम्यवादी विचारधारा के आपसी संबंधों का है। हिन्दी नवजागरण और साम्यवादी विचारधारा के सम्पर्क–संवाद को जाँचने–परखने के लिए हमें नवजागरण की दुर्लभ पत्र–पत्रिकाओं के भंडार में गहरी छान–बीन करनी होगी। इस सदी के शुरूआती दशकों में ही ऐसे लेख छपने शुरू हो गए, जिसके सूत्र साम्यवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़े थे। अभी तक उपलब्ध सूचना सामग्री के आधार पर संभवतः 'अभ्युदय' (साप्ताहिक) के सम्पादक कृष्णकांत मालपीय ऐसे पहले पत्रकार थे, जिन्होंने 1918–1920 में रूसी राज्यक्रांति पर लगातार लिखा और नए युग की आहट दर्ज की। 'संसार संकट' शीर्षक से उनका प्रकाशित धारावाहिक लेख अपने समय में काफी चर्चित रहा था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ साम्यवाद का प्रसार बढ़ा। रमाशंकर अवस्थी की 'बोल्शेविक जादूगर' सोमदत्त विद्यालंकार की 'रूस का पुनर्जन्म', विश्वंभरनाथ जिज्जा की 'रूस में युगांतर', प्राणनाथ विद्यालंकार की 'रूस में पंचायती राज' पुस्तकें 1921 से 1923 के बीच प्रकाशित हो चुकी थी।

सत्यभक्त भारत में साम्यवादी पार्टी के संस्थापक थे। यह तथ्य काफी दिनों तक दबा रहा। पहली बार डॉ. रामविलास शर्मा ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस तथ्य को स्थापित किया कि 'यदि किसी एक व्यक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक होने का श्रेय दिया जा सकता है तो वह सत्यभक्त है।'[1] बेशक इस तथ्य को व्यापक स्वीकृति मिलने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि एक ओर भारतीय साम्यवाद के इतिहास में अंग्रेजी में प्रकाशित सामग्री ही प्रमाणिक मानी जाती है। दूसरी दिक्कत यह कि सत्यभक्त को अपने जीवन या साहित्य में इतनी अहमियत नहीं मिली कि उन्हें इतना बड़ा श्रेय बेहिचक दे दिया जाए। अंग्रेजी से प्रमाणित तथ्यों–तर्कों का आतंक–वर्चस्व जैसा है, उसमें हिन्दी में हुए काम में सत्य स्थापना की स्वीकृति मनवा लेना आसान नहीं होता, वह भी तब, जब एक से अधिक कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं और उन सबके इतिहास अपने–अपने तरीके से अलग हैं। इससे भी बड़ी मुश्किल यह कि इन सभी पर आज तक वर्चस्व अंग्रेज लोगों का ही है, जिनसे यह उम्मीद करना कि वे इतना बड़ा श्रेय हिन्दी के एक गुमनाम से रहे पत्रकार को सौंप देंगे, व्यर्थ है।

***शोध छात्र, इतिहास विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**